तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :– 07 / 2024 **अनवर हुसैन बनाम राज. सरकार** **प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.09.24	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि राजस्व ग्राम देरवाला के हाल भूमि खसरा नं. 236 रकबा 1.16 है0, खसरा नं. 237 रकबा 0.80 है0, खसरा नं. 238 रकबा 1.38 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 3.34 है0 भूमि अवस्थित है, जिसमें पार्थी अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का निवास स्थान राजस्व ग्राम किठाना तहसील चिड़ावा दर्ज है जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का निवास स्थान राजस्व ग्राम देरवाला तहसील झुंझुनूं दर्ज है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज हो गया जिसको दुरूस्त किया जाये। पत्रावली के संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट और प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व सहमति पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि यह भूमि प्रार्थी की क्रयशुदा भूमि है जिसके विक्रय पत्र में भी प्रार्थी का निवास स्थान देरवाला ही है। अतः बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात व बगौर मनन बहस वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा :– –: आदेश :– प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि ग्राम देरवाला के हाल भूमि खसरा नं. 236 रकबा 1.16 है0, खसरा नं. 237 रकबा 0.80 है0, खसरा नं. 238 रकबा 1.38 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 3.34 है0 भूमि में प्रार्थी का निवास स्थान राजस्व ग्राम किठाना तहसील चिड़ावा की बजाय राजस्व ग्राम देरवाला तहसील झुंझुनूं दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैं। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को खुले इजलास सुनाया गया। 12/9/24 (हवाई सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं (राज.)	